सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा जिला जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक–1622/अ0सं0क0/एन0एस0पी0/2020–21 दिनॉक–02.02.2021 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 576/सूचना/2021 दिनांक– 04/02/2021

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक महोदय– अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 1622 /अ0स0क0/एन0एस0पी0/2020-21 दिनांक 02 फरवरी, 2021

1 प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
समस्त शिक्षण संस्थान/मदरसे
सिद्धार्थनगर।

2 समस्त इन्स्टीट्यूट नोडल अधिकारी,
सिद्धार्थनगर

विषय नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं मे समयबद्ध डाटा अग्रसारण करने के सम्बन्ध मे।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-3656/अ0स0क0नि0-1082/एन0एस0पी0/20 दिनांक 01 फरवरी, 2021 द्वारा केन्द्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन आवेदनों के अग्रसारण की स्थिति अत्यन्त खराब है। दिनांक 01.02.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न हुइ समीक्षा बैठक मे आनलाइन आवेदनो के अग्रसारण के सम्बन्ध में 03 दिवस के भीतर शत प्रतिशत प्रगति लाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

ज्ञातव्य है कि संस्था स्तर से छात्र-छात्राओ के आवेदन पत्रों के अग्रसारण करने की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2021 निर्धारित है जबकि इस सम्बन्ध मे कई बार निर्देशित किया जा चुका है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने मदरसा/संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति [illegible] समस्त पात्र छात्र [illegible] का डाटा नियमानुसार तत्काल अग्रसारण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी संस्था द्वारा छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदनो के अग्रसारण में अनियमितता प्रकाश में आती है तो उनको एन0एस0पी0 पर दी गई व्यवस्था के तहत नियमानुसार Fake Institution किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व समस्त शिक्षण संस्थान/मदरसे का होगा।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय

(एजाजुल हक खान)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठांकन संख्या उपरोक्तानुसार तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 निदेशक महोदय अल्पसंख्यक कल्याण [illegible] लखनऊ।
2 जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर
3 मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
4 कुल. सचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर।
6 जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
7 प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 नौगढ़/डुमरियागंज।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 1623 /अ0स0क0/भा0स0छा0/2020–21 दिनांक 02 फरवरी, 2021

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
समस्त शिक्षण संस्थान/मदरसे
जनपद–सिद्धार्थनगर।

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 3674/अ0स0क0नि0–1082–एन0एस0पी0–भा0स0छा0वृ0/2020–21 दिनांक 02.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020–21 में संस्थान स्तर से डाटा को सत्यापित करते हुये अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05.02.2021 है तथा छात्रवृत्ति डाटा का सत्यापन संस्थान स्तर से कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं एवं किसी पात्र छात्र/छात्रा के आवेदन पत्र नियत समय में अग्रसारित न होने पर सम्बन्धित संस्थान का उत्तरदायितव निर्धारित करते हुये उसकी मान्यता निरस्त/प्रत्याहरित कराये जाने की कार्यवाही के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि पात्र छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति डाटा का सत्यापन अपने स्तर से दिनांक 05.02.2021 तक युद्ध स्तर पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 02.02.2021 के क्रम में आपके शिक्षण संस्थान/मदरसा के मान्यता प्रत्याहरण हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संस्तुति कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होगे।

संलग्नक : यथोक्त।

(एजाजुल हक खान)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठांकन संख्या : तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।